

फद अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत ... अहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड जंक्शन

..... लीला बनाम दोगनकर एवं

किस्म मुकदमा पु. 212 (2) R.T.-A.J नं. 05 सन् 2015
रा.वि.

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
18/02/2015	<p>वकील जर्घिया उपस्थित। वकील जर्घिया द्वारा विरुद्ध अजर्घिया के राजस्व दरखास्त अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान कारतकी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर में अजर्घिया की परिधि नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आयुदा दिनांक 26/3/2015 को पेश हो।</p>	1580
26/3	<p>पत्रावली पेश हुई। अजर्घिया के मो. फि. तामिल लेकर जज हुक्म पत्रा. हो। पत्रावली वापस जबान आयुदा दिनांक 16/4/15 को पेश हो।</p>	
16/4	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली जाने जबान आयुदा दिनांक 21.5.2015 को पेश हो।</p>	
17/5	<p>राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महो. पाली के निर्देशानुसार पत्रावली आयुदा केम लो. अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय <u>जोषावर</u> पर दिनांक <u>3/7/15</u> को पेश हो।</p> <p><u>उपखण्ड अधिकारी</u> <u>मारवाड जंक्शन</u></p>	1101

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
का तामिल में जारी हुए ।

तारीख
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26/8/19

पतावली आज पेश हुई वनील पावली उषा।
पतावली की पुर्न आदेशिका का अवलोकन
किया गया तथा पुर्न दस्तावेज प्रस्तुत प्रस्तुत
थका 212 RT Act का है अतः मूल पतावली
(मूल वाद) को Call किया गया।
मूल वाद का अध्ययन करने पर पाया गया
कि मूल वाद दिनांक 12/05/18 को
निर्णीत कि जा चुकी है। पुर्न प्रकरण के
संबंधित मूल वाद पुर्न निर्णीत किया
जा चुका है अतः संबंधित प्रपत्र स्वतः
हि निर्णीत हो जाते हैं अतः दस्तावेज प्रकरण
का आगे चलना उचित नहीं अतः दस्तावेज
प्रकरण को मूल वाद के निर्णीत हो जाने के
कारण खारिज किया जाता है। मिला केमल
खमार दोनर नम्बर लेनसु है।
निर्णय पर खमार आज दिनांक 26/8/19 को
जुनाया गया।

नरेश कुमार
मोहन

